[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व-1) विभाग दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 37-9

दिनांकः 30 [17

अधिसूचना सं0 13/2017- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्गों पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा :--

सारणी

क्र.सं.	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का पूर्तिकार	सेवा का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्नलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति -	माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित, (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या
	(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी		(ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी

	अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत		सोसाइटी को ; या
	किसी भी सोसाइटी को ; या		(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर
	(ग) किसी विधि द्वारा या उसके		अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा
	अधीन स्थापित किसी भी		कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा
	सहकारी सोसाइटी को ; या		कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल
	(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या (ड.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या		और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या (इ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या (च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या
	(च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रिजस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है; या (छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ।		(छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति।
2	किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष	व्यष्टिक अधिकता या अधिवकताओं	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व।

	प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।		
3	किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं ।	कोई माध्यस्थम् अधिकरण	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।
4	किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप में दी गई सेवाएं।	कोई भी व्यक्ति	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म ।
5	किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्निलिखित नहीं हैं,- (1) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ; और (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- (i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न किसी व्यक्ति को दी गई सेवाएं; (ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की प्रसीमाओं के भीतर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन।	केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व ।

A ...

स्पंष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

(क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है।

- (ख) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में उसका है।
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है।
- (घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनका है।
- 2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

12 sdap hil

(एस॰ के॰ गुप्ता)

उप-सचिव -VI (वित)

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 27-94

दिनांकः ३ ७ ७ १५

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।

- 2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
- 3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
- सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
- 6. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
- 7. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
- 8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
- 9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।

10. गार्ड फाइल ।

12)dogmi

(एस॰ के॰ गुप्ता) उप-सचिव -VI (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 3 70

Dated: 30 6 17

Notification No. 13/2017 - State Tax (Rate)

No.F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council hereby notifies that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of State tax leviable under section 9 of the said Delhi Goods and Services Tax Act, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the such services as specified in column (4) of the said Table:-

Table

SI. No.	Category of Supply of Services	Supplier of service	Recipient of Service
(1)	(2)	(3)	(4)
	Supply of Services by a goods transport agency (GTA) in respect of transportation of goods by road to- (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948);or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or	Transport Agency (GTA)	(a) Any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax

_	<u> </u>	v di	23 129		
		(c) any co-operative society		Act or the Integrated Goods and	
		established by or under any law; or		Services Tax Act or the State	
		(d) any person registered under the		Goods and Services Tax Act or the	
		Central Goods and Services Tax		Union Territory Goods and	
3		Act or the Integrated Goods and		Services Tax Act; or	
		Services Tax Act or the State	50 #1	(e) any body corporate established,	6 8
200		Goods and Services Tax Act or the		by or under any law; or	
		Union Territory Goods; and		(f) any partnership firm whether) *
į	1	Services Tax Act, or		registered or not under any law	k •
ĺ		(e) any body corporate established,		including association of persons; or	
		by or under any law; or		(g) any casual taxable person;	¥8
		(f) any partnership firm whether	ia)	located in the taxable territory.	
		registered or not under any law	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		including association of persons; or			
		(g) any casual taxable person.		* 7 7	
2		Services supplied by an individual	1	Any business entity located in the	
-80 -30		advocate including a senior	individual	taxable territory.	, a
7		advocate by way of representational	advocate		
700		services before any court, tribunal	including		
		or authority, directly or indirectly,	a senior		
2.9		to any business entity located in the	advocate		
ž	1	taxable territory, including where	or firm of		
1		contract for provision of such	advocates.		gg" i
		service has been entered through			
		another advocate or a firm of		f	
200		advocates by way of legal services,		% - ₩	58
		directly or indirectly, to a business			
		entity.			
3		Services supplied by an arbitral.	An arbitral	Any business entity located in the	
		tribunal to a business entity.	tribunal.	taxable territory.	
4		Services provided by way of	Any	Any body corporate or partnership	
	157115	Procedu 524 4 W.		20 200 13 2007 17 20	

10 th 20 th 20 th	sponsorship to any body corporate	person	firm located in the taxable territory.
est fores	or partnership firm.		
5	Services supplied by the Central	Central	Any business entity located in the
	Government, State Government,	Governme	taxable territory.
	Union territory or local authority to	nt, State	
	a business entity excluding, -	Governme	
A state of the sta	(1) renting of immovable property,	nt, Union	
ē. C:	and	territory or	
ş ()	(2) services specified below-	local	
	(i) services by the Department of	authority	
9	Posts by way of speed post, express		
	parcel post, life insurance, and	6	
	agency services provided to a		
	person other than Central		
	Government, State Government or		
	.Union territory or local authority;		
	(ii) services in relation to an		
	aircraft or a vessel, inside or		
	outside the precincts of a port or an		
	airport;		,
	(iii) transport of goods or		
55 00- 03	passengers.		
6	Services supplied by a director of a	A director	The company or a body corporate
	company or a body corporate to the	of a	located in the taxable territory.
	said company or the body	company	
	corporate.	or a body	
		corporate	
7	Services supplied by an insurance	An	Any person carrying on insurance
	agent to any person carrying on	insurance	business, located in the taxable
	insurance business.	agent	territory.
8	Services supplied by a recovery	Α	A banking company or a financial

.

	agent to a banking company or a	recovery	institution or a non-banking financial
	financial institution or a non-	agent	company, located in the taxable
	banking financial company.		territory.
9	Supply of services by an author,	Author or	Publisher, music company, producer
	music composer, photographer,	music	or the like, located in the taxable
	artist or the like by way of transfer	composer,	territory.
	or permitting the use or enjoyment	photograp	
	of a copyright covered under clause	her, artist,	
	(a) of sub-section (1) of section 13	or the like	
	of the Copyright Act, 1957 relating	3	
	to original literary, dramatic,		
	musical or artistic works to a		
	publisher, music company,		
	producer or the like.		

Explanation.- For purpose of this notification,-

- (a) The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.
- (b) "Body Corporate" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013.
- (c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.
- (d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the State Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 379

Dated: 30 6 2017

Copy forwarded for information to:-

The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi

- 3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

10. Guard File.

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)

82 ₹0 (B) **≅** obt. 100

OVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT 4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SECRETARIAT I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F.No.3(15)/Fin(Rev.-I)/2017-2018/DSVI/

Dated, the 30/06/2017

CERTIFICATE

It is hereby certified that the contents of the soft copy as well as the hard copy as given in notifications 3(15)/Fin(Rev.-I)/2017-2018/DSVI/379 dated 30/06/2017, are the same and also approved by the competent authority. A copy of the aforesaid notification has been e-mailed to (gadegazette.delhi@gov.in) in the (PDF/JPEG/JPG/PNG) as well as MS word format.

(S.K.GUPTA)

Deputy Secretary-VI (Finance)

9810076123